न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव आई.ए.एस.

कल्याण प्रसाद पुत्र गिरवर लाल जाति ब्राह्मण जरिये मुख्यार आम अब्दुल गफ्फार पुत्र खेराती जाति मुसलमान निवासी करौली तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

आयुक्त, नगरपरिषद करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश श्रीमान आयुक्त नगरपरिषद करौली

निर्णय

दिनांक 0611.2019

यह अपील अपीलाण्ट की ओर से वकील अपीलाण्ट ने नगरपरिषद करौली के आदेश से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक चूने का भट्टा आराजी ख0नं0 4347 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाकेतन करौली तहसील करौली जिला करौली में आधा बीधा भूमि पर सन 1963 से बना हुआ हैं। उक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु आदेश श्रीमान जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 07.10.1963 को जारी हुआ था। दिनांक 01.11.1980 को नगरपालिका करौली द्वारा उक्त भूमि पर चूना भट्टा तामीर करने की NOC जारी की गयी थी। इस प्रकार उक्त आधा बीघा भूमि पर प्रार्थी का सन 1963 से चूना पकाने का पाटोर एवं टीन पोश गोदाम यहां बना हुआ था तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार, निर्वाद शांतिपूर्ण कब्जा आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त भूमि ख0नम्बर 4347 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा अन्य आराजीयात के साथ आबादी भूमि दर्ज होकर नगरपरिषद करौली के नाम दर्ज हो चुकी है, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी का चूना भट्टा, वरामदा, तीनगह पाटौर सन 1963 से बनी हुई है जिसका प्रार्थी आज दिन तक उपभोग, उपयोग कर रहा है। वर्तमान में बाजार में चूने की मांग कम होने के कारण उक्त चूना भट्टा का कोमर्शियल उपयोग करना लाभदायक नही है। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि का कोमर्शियल के स्थान पर आवासीय प्रयोजन में उपयोग करना चाहता है। इस बावत प्रार्थी ने उक्त आधा बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा लेने के लिए नगरपालिका करौली जो वर्तमान में नगरपरिषद करौली में एक आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2012 को प्रस्तुत कर दिया तथा अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजात की प्रति संलग्न कर दी, जिससे प्रार्थी के उक्त आधा बीघा भूमि पर पुराना कब्जा साबित है परन्तु आयुक्त नगरपरिषद करौली ने प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक निल को खारिज कर दिया। अधिकारी नगर परिषद करौली का आदेश दिनांक निल विधि विरूद्ध होने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विषय होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। आयुक्त नगर परिषद करौली आलोच्य निर्णय दिनाक कोई स्पीकिंग आर्डर नही है। उक्त निर्णय अधिशाषी अधिकारी ने केवल इतना लिखा है कि उक्त भूमि नगर परिषद की सिवायचक भूमि है। जिसका पट्टा एल.ए. की राय के मुताबिक जारी नहीं किया जा सकता है। आयुक्त ने अपने स्वयं विवेक का कोई प्रयोग नहीं किया इसलिए आलोच्य निर्णय कानून की दृष्टि से निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है। नगर परिषद के खाते में राज्य सरकार के आदेश से जो भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु दी जाती है, उसके संबंध में पट्टा जारी करने हेतु स्वायत शासन विभाग द्वारा समय–समय पर आदेश परिपत्र जारी किये जाते हैं तथा पुराने कब्जे के आधार पर कब्जा धारियों के पक्ष में पट्टे जारी करने के लिए आवासीय आरक्षित दर के अनुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। प्रार्थी आरक्षित दर से नगर परिषद करौली में पट्टा राशि जमा करवाने को तैयार है फिर भी आयुक्त द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र में विचार न कर कानूनी भूल की है। इसलिए

आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का नगर परिषद करौली की परिधी में उक्तभूखण्ड के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड नहीं है इसलिए प्रार्थी उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति है। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी का टीनपौश बरामदा व तीनगह पाटौर एवं पुख्ता पुराना भट्टा बना हुआ है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी भी माना जावे तब भी प्रार्थी उक्त भूमि का नियमन करवाने एवं पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु आयुक्त नगरपरिषद करौली ने राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर दिया इसलिए आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की जरिये नोटिस तलब कर नगरपरिषद करौली से अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं नगरपरिषद से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का सन् 1963 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में चूने के भट्टे का कार्य नही होने पर कर्मिशयल के स्थान पर आवासीय रूप में उपयोग, उपभोग किया जा रहा है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावें।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि नियमों के अनुरूप अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक राय लेकर खारिज किया गया है जो न्याय संगत है। प्रार्थी की अपील खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा नगरपरिषद करौली से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलाण्ट/प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र नगरपरिषद करौली को दिनांक 07.05.2012 को प्रस्तुत कर खसरा नंबर 4347 रकबा 5 बीधा 19 बिस्वा में से आधा बीघा भूमि का आवासीय में पट्टा चाहने हेतु पेश करते हुये अपना कब्जा दिनांक 07.10.1963 बताकर प्रस्तुत किया गया था जिसमें नगरपरिषद द्वारा पत्रावली नियमानुसार संधारित की जाकर विधिक परामर्शी से राय लेकर आवेदक/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। नगरपरिषद क्षेत्र की समस्त जमीनें नगरपरिषद को राजस्व विभाग ने वर्ष 2012 में ही स्थानांतरण कर उसका उपयोग, उपभोग करने हेतु उनके स्वामित्व में दे दी गई है जहां पर वकील अपीलाण्ट के दौराने बहस कथन एवं अपील मीमें में दर्शित किया गया है कि स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01.01.2002 के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर सन् 1971 से पूर्व के कब्जों के आधार पर प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान नियमितकरण के प्रावधान थे जो मात्र दिनांक 31.03.2000 तक ही थे उसके पश्चात् एक अन्य आदेश दिनांक 5 अगस्त 2004 को जारी किया गया था जिसे भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इस प्रकार से अपीलाण्ट/प्रार्थी जारी स्वायत शासन विभाग, जयपुर के परिपत्रों के अनुसार पात्रता नही रखता है साथ ही आवेदक के आवेदन पत्र में उसका मूल निवास हिण्डौन होने एवं करौली में विवादित आराजी पर पूर्व में भट्टा स्थापित होना ही बताया गया है जिसकी ताहिद में निरन्तर कब्जे बाबत कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। नगरपरिषद करौली में भूमि अपने नाम सिवायचक होने के नाते प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार परिवर्तन करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने पर खारिज की जाती है। निर्णय प्रति आयुक्त नगरपरिषद करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 13:03:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: